पीआईबी मीडिया प्रत्यायन प्रक्रिया से जुड़े सवाल

1. पीआईबी प्रत्यायन के लिए कैसे अप्लाई करें?

आवेदकों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और समय-समय पर निर्दिष्ट दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
लिंक : https://accreditation.pib.gov.in/

2. क्या दिल्ली और उसके नजदीकी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले पत्रकार प्रत्यायन के लिए अप्लाई कर सकते हैं?

नहीं, सिर्फ उन्हीं मीडिया कर्मियों को प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा जो दिल्ली और उसके नजदीकी क्षेत्रों (नोएडा, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा) में रहते हैं।

3. प्रदान किए जाने वाले प्रत्यायन की अवधि कितनी होगी?

प्रत्यायन एक कैलंडर वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।

4. केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश 2022 (CMAG 2022) के अनुसार कामकाजी पत्रकार कौन हैं?

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश 2022 के अनुसार , 'कामकाजी पत्रकार' का अर्थ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता, 2020 में यथापरिभाषित एक कामकाजी पत्रकार से है जो

एक समाचार संगठन के समाचार एकत्रीकरण करने अथवा न्यूज़ ब्यूरो से जुड़े हुए हैं।

- संवाददाता/कैमरापर्सन : फुल टाइम कामकाजी पत्रकार के तौर पर 5 साल का अनुभव
- फ्रीलांस : फुल टाइम पत्रकार के तौर पर 15 सालों का कम से कम अनुभव
- विदेशी पत्रकार (संवाददाता/कैमरापर्सन): एक वैध जे-वीजा के साथ फुल टाइम कामकाजी पत्रकार के तौर पर 5 साल का अनुभव

5. एक फ्रीलांस पत्रकार के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं?

फ्रीलांस कामकाजी पत्रकार जो किसी भी मीडिया संस्थान के साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए पात्रता की ये शर्तें हैं :

- किसी भी न्यूज़ संस्थान में फुल टाइम कामकाजी पत्रकार के तौर पर न्यूनतम 15 साल का अनुभव और
- कम से कम 5 सालों के लिए पीआईबी कार्ड धारक रहे हों।

6. पीआईबी प्रत्यायन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसके पास है?

पीआईबी प्रत्यायन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की जिम्मेदारी पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक (The Principal DG, PIB) के पास है।

7. क्या पीआईबी प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ की मांग कर सकता है ?

जी हां, पीआईबी के पास यह अधिकार है कि वह आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक से अतिरिक्त जानकारी अथवा दस्तावेज़ की मांग कर सकता है। आवेदक को इससे संबंधित एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।

8. पीआईबी द्वारा अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज़ों की मांग कब की जा सकती है?

पीआईबी द्वारा प्रत्यायन प्रदान किए जाने अथवा प्रत्यायन के नवीनीकरण के किसी भी चरण के दौरान आवेदक से अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

अनुभवी पत्रकारों के लिए पात्रता की शर्तें

9. अनुभवी पत्रकारों के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं?

इस वर्ग के तहत उन फ्रीलांस पत्रकारों को प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा जो :

- 65 साल की उम्र को पूर्ण कर चुके हैं

- एक कामकाजी पत्रकार के तौर पर न्यूनतम 30 सालों का अनुभव रखते हैं
- एक पत्रकार के तौर पर सार्वजनिक रूप से प्रशंसित हैं और उनका एक प्रतिष्ठित करियर रहा है

डिजिटल समाचार प्रकाशक (Digital News Publisher) के लिए पात्रता की शर्तें

10. डिजिटल समाचार प्रकाशक को प्रत्यायन प्रदान किए जाने के लिए पात्रता की शर्तें

इस वर्ग के तहत उन्हें प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा जो इन शर्तों को पूरा करेंगे :

1. समाचार प्रकाशकों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम (IT Rules), 2021 के नियम 18 के तहत आवश्यक जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रदान करनी होंगी।
2. वेबसाइट कम से कम एक साल पुरानी होनी चाहिए और कम से कम एक साल तक उसी नाम से लगातार चालू रहनी चाहिए। डोमेन नेम अगले दो साल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए।
3. वेबसइट के पिछले 6 महीनों के मंथली यूनीक विजिटर की संख्या सीएओलेखा परीक्षकों /अनुमोदित- के पैनल द्वारा रिपोर्ट और प्रमाणित की जानी चाहिए।

4. पत्रकारों के पास मीडिया संस्थानों में काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और डिजिटल समाचार प्रकाशक द्वारा उनकी नियुक्ति एक फुल टाइम न्यूज़ कंटेन्ट क्रीऐशन के लिए किया गया हो।
5. वेबसाइट का एक रजिस्टर्ड कार्यालय भारत में होना चाहिए और उसके संवाददाता दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले हों । न्यूज़ पोर्टल के संपादक भारतीय नागरिक होने चाहिए।

ध्यान दें कि सवालों की यह सूची सम्पूर्ण नहीं हैं अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश 2022 की अनुसूची-I (पॉइंट E) को देखें

*एक प्रत्यायन के लिए पिछले 6 महीनों में कम से कम 10 लाख मंथली यूनीक विजिटर्स आवश्यक हैं।

अनलाइन आवेदन के स्टैटस को ट्रैक करना

11. आवेदक अपने आवेदन को कैसे ट्रैक करें?

आवेदक प्रत्यायन वेबसाइट पर लॉगइन कर अपने आवेदन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

लिंक: https://accreditation.pib.gov.in/newcode/statusid.aspx

<u>नवीनीकरण प्रक्रिया</u>

12. पीआईबी कार्ड धारकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है?

सभी पीआईबी कार्ड धारकों को हर साल पीआईबी कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा (सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में)। नवीनीकरण प्रक्रिया मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ही की जाएगी।

<u>कार्ड का खो जाना/खराब होना</u>

13. पीआबी कार्ड के खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेज़ों को जमा करना होगा?

डुप्लीकेट कार्ड के लिए पीआबी कार्ड धारक को ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे :

- पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर की कॉपी
- एसबीआई, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में जमा किया गया ₹50 का चालान
- खो चुके/खराब हो चुके कार्ड के रिप्लेसमेंट के लिए लिखित आवेदन

जरूरी सलाह : कार्ड खो जाने पर पीआबी को तुरंत सूचित करें

पीआईबी कार्ड का निलंबन/वापसी

14. किन परिस्थितियों में प्रत्यायन को निलंबित किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है?

केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश 2022 के क्लॉज 6.8 के तहत प्रत्यायन को निलंबित किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है।

लिंक : https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/CentralMediaAccreditationGuidelines2022.pdf.PDFNA9X.PDF

****